राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

सत्यमेव जयते

LiFE Lifestyle For Environment

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in

दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

फैक्स नं. – 0755–2462136

माननीय एनजीटी (CZ) द्वारा अपील नम्बर 12/2025 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कार्यवाही निम्नानुसार है :-

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण की 889वी बैठक दिनांक 13.08.2025 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत निम्नानुसार निर्णय लेते हुए निरस्त किया गया है :-

"........राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत समस्त दस्तवेजों के परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज हस्तांतरण हुई है तथा उक्त लीज के खसरा पंचशाला अनुसार ट्रायवल लैण्ड है जिसकी कलेक्टर कटनी से सत्यापित सहमति भी प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है, लीज क्षेत्र के पास आबादी स्थित है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय के संबंध में अपना प्रतिवेदन दिनांक 05.09.2025 को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर ही पुर्नविचार का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप किसी भी प्रकरण का परिवेश पोर्टल पर पत्र (EC/Reject आदि) जारी हो जाता है तो उसी आवेदन पर पुनः विचार करने का प्रावधान पोर्टल पर नहीं है। चूँकि उक्त प्रकरण में प्राधिकरण के निर्णय अनुसार दिनांक 25.08.2025 को परिवेश पोर्टल पर प्रकरण निरस्त किये जाने का पत्र जारी किया जा चुका है। अतः इसी प्रकरण पर पुनः विचार किया जाना संभव नहीं है।

(सपना विश्वकर्मा)

प्रोजेक्ट फैलो/प्रभारी अधिकारी

State Level Environment Impact Assessment Authority, M.P. (EPCO) Paryavaran Parisar E-5, Arera Colony, Bhopal (M.P.)